न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 35 / 2022

श्री प्रवीण कुमार शर्मा एडवोकेट डी.जे. कोर्ट परिसर, भरतपुर।

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

..........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 07.06.2022**

अपीलार्थी श्री प्रवीण कुमार शर्मा एडवोकेट डी.जे. कोर्ट परिसर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 293 दिनांक 16.05.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर का जबाब पत्र कमांक / स्था0 / 1961 दिनांक 26.05.2022 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2022 में 12 बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर से सूचना चाही गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 26.05.2022 में कथन किया है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / आरटीआई / 35 / 2022
प्रवीण कुमार एडवोकेट बनाम लो0सू0अ0

04.03.2022 में बिन्दु संख्या 1, 2, 3 की सूचना अपीलार्थी को पत्र कमांक 1834 दिनांक 24.05.2022 से उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 4 लगायत 12 की चाही गई जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अन्तर्गत अदेयता की श्रेणी में आती है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.10.2012 में श्री गिरीशचन्द देशपाण्डे बनाम मुख्य सूचना आयुक्त व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.02.2010 एवं मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा यदुनाथ दशानन बनाम लोक सूचना अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) पुलिस मुख्यालय जयपुर में निर्णय दिनांक 02.04.2014 में अभिनिर्धाति किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अन्तर्गत अदेयता की श्रेणी में आने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलर्थी को (लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर भरतपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 26.05.22 की प्रतिलिपि संलग्न कर) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित की जावें।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर